उत्तर प्रदेश शासन
बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग
संख्या- 62/2022/2136(2)/002-54-2002-002-1-2022
लखनऊ: दिनांक 08 अगस्त, 2022

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या -61/2022/2136/002-54-2002-002-1-2022 दिनांक 08 अगस्त 2022 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति के विषय में त्रुटिपूर्ण रूप से ''वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण'' हेतु प्रावधानित एवं ''89-संगत राज्यांश-8902-समन्वित बाल विकास परियोजना के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण'' हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में'' अंकित हो गया है, जिसे निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

''वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।''

2- उक्त शासनादेश संख्या-61/2022/2136/002-54-2002-002-1-2022 दिनांक 08 अगस्त 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 62/2022/2136(3)/002-54-2002-002-1-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।